भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 7

सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 / 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

ईपीएफ के अंतर्गत नामांकन

†*7. श्री बैन्नी बेहनन:

एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत नामांकन के लिए न्यूनतम वेतन की वर्तमान दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत नामांकन हेतु न्यूनतम वेतन की सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में कार्यरत गिग कामगारों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

“ईपीएफ के अंतर्गत नामांकन” के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन एवं एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा दिनांक 01.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 7* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के उपबंध के अनुसार, ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी संस्थापन के ऐसे सभी कर्मचारी, जो 15,000/- रुपये तक का वेतन आहरित कर रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से कवर किया जाना अपेक्षित होता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अंतर्गत कवरेज के लिए न्यूनतम वेतन का कोई मानदंड नहीं है।

(ख): ईपीएफओ के अंतर्गत कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का निर्णय ट्रेड यूनियनों और उद्योग संघों सहित हितधारकों के गहन परामर्श के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इसका कर्मचारियों के निवल वेतन और नियोक्ताओं के लिए नियुक्ति लागत पर प्रभाव पड़ेगा।

(ग) और (घ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार, 'गिग वर्कर' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो ऐसी किसी कार्य व्यवस्था में कार्य करता है या शामिल होता है और ऐसी गतिविधियों से अर्जन करता है जो परम्परागत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर होती हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत, जीवन और निशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रावधान हैं। यह संहिता, कल्याण योजना के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का भी प्रावधान करती है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 113, असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के पंजीकरण का प्रावधान करती है।

*****